न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 524 / 2018
दायर दिनांक :– 26.06.2018

अनवान

श्री सोजीराम पिता रामकिशन जाट नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

1. श्री बरदू पिता छोगा जाट नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
2. श्री राधेश्याम पिता पन्ना कंजर नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश :: दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम सुभाषनगर प0 ह0 पीपलुन्द तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 2977 / 2789 रकबा 5.00 बीघा भुमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सुभाषनगर प0 ह0 पीपलुन्द तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 2977 / 2789 रकबा 5.00 बीघा भुमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.08.26 10:33:44 IST
Reason: SelfAttested